राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर/19972-20010 दिनांक : 08/2/2018

कोषाधिकारी,
समस्त।

विषयः– वित्त (नियम) विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के मार्गदर्शन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (नियम) विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के वित्त विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	विभाग द्वारा वांछित मार्गदर्शन	वित्त विभाग की टिप्पणी
1	1. दिनांक 01.01.2016 को राज्य सेवा में कार्यरत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो वेतन के स्थान पर नियत पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हैं वह Existing Govt. Servant माना जावेगा अथवा नही? 2. यदि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व कार्यरत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी दिनांक 01.07.2016 या दिनांक 01.07.2017 से पूर्व स्थायी कर दिया जाता हैं तो उसे उक्त दिनांको का विकल्प दिया जा सकता हैं अथवा नही?	1.RCS (RP) Rules, 2017 की परिभाषा 5(XII) एवं Explanation में निम्न प्रावधान हैंः– "Existing Govt. Servant" means a Government Servant who is in service on 01.01.2016 and drawing pay in existing running Pay Band and Grade Pay. Explanation:- Government Servant who were appointed on or after 01.01.2016 in the Levels of Pay Matrix under the Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules 2017 are not existing Government Servant. उक्त प्रावधान में विद्यमान सरकारी कर्मचारी से आशय ऐसे कर्मचारी से हैं जो दिनांक 01.01.2016 को विद्यमान रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे वेतन प्राप्त कर रहा हो। प्रोबेशनर ट्रेनी जो नियत पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, वे रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे में वेतन प्राप्त नही कर रहे हैं। अतः ऐसे कर्मचारियो के द्वारा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प नही दिया जा सकता हैं। ऐसे प्रोबेशनर ट्रेनी का प्रोबेशनर ट्रेनिंग अवधि पूर्व करने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 17 के तहत पद के लिये निर्धारित पे लेवल के प्रथम सैल में वेतन निर्धारण किया जायेगा।

www.rajteachers.com

	3. दिनांक 01.01.2016 से पूर्व राज्य सेवा में नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी की दिनांक 01.01.2016 से पूर्व अन्य पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर पूर्व पद का वेतन लेने का विकल्प दिया गया हैं तो क्या ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में दिनांक 01.07.2016 या 01.07.2017 की वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक का विकल्प दिया जा सकता हैं?	राज्य सरकार में नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी की सीधी भर्ती से अन्य पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति होने पर ऐसे कर्मचारी को पूर्व पद या नियत पारिश्रमिक जो भी लाभप्रद हो, प्राप्त करने का विकल्प हैं। यदि पूर्व से रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे में वेतन प्राप्त कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में कर्मचारी पूर्व पद का वेतन लेने के दिये गये विकल्प के अनुसार दिनांक 01.01.2016 को वेतन प्राप्त कर रहा हैं, तो ऐसे विद्यमान कर्मचारी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में वेतन निर्धारण का विकल्प नये पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि पूर्ण करने की दिनांक से पूर्व की वार्षिक वेतन वृद्धि यथा दिनांक 01.07.2016 या 01.07.2017 का राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में विकल्प दिया जा सकता हैं। यह भी स्पष्टीकरण किया जाना उचित होगा कि प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में पूर्व पद की सेवा के लिए एसीपी देय नही होने के कारण एसीपी हेतु विकल्प नही दिया जा सकता हैं।
2	यदि एसीपी या प्रमोशन के कारण 6th Pay Commission में रनिंग पे–बैण्ड बदल जाता हैं तो Existing RPB Or Pay Matrix में लेवल मिलाकर 6 माह नही होने पर वेतन वृद्धि उसी वर्ष की 1 जुलाई रहेगी अथवा आगामी वर्ष की 1 जुलाई निर्धारित की जायेगी?	RCS (RP) Rules, 2017 की अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के बिन्दू 3(ई) में निम्न प्रावधान हैं:– "(1) There will be a uniform date of annual increment viz. 1st July of every year. Employees completing 6 month and above in any level of the Pay Matrix as on 1st July every year will be eligible for grant of annual increment. The first increment after fixation of pay under these rules as per option of the employee will be granted on completing 6 months by counting the period of services rendered in the existing Running Pay Band and in a level of the Pay Matrix in these rules." राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में सभी कर्मचारियों के लिये वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को देय होने का प्रावधान वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के लिये पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के प्रावधान के समान रखा गया हैं। अतः विद्यमान कर्मचारियों द्वारा वेतन निर्धारण

www.rajteachers.com

		हेतु दिनांक 01.01.2016 की पश्चात्वर्ती दिनांक से विकल्प प्रस्तुत करने पर वेतन वृद्धि की दिनांक प्रभावित नही हो इसके दृष्टिगत राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 13 के उपनियम 1 में अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे एवं पे मैट्रिक्स के लेवल में की गई सेवा को वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के उद्देश्य से गणनीय अर्हक 6 माह की सेवा में सम्मिलित किये जाने का प्रावधान किया गया हैं। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में वेतन निर्धारण हेतु दिये गये विकल्प के कारण यदि विद्यमान रनिंग पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे प्ररिवर्तित होती हैं तो वेतन वृद्धि हेतु 6 माह की अर्हक सेवा में वेतन निर्धारण पूर्व किसी भी रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे में की गई सेवा सम्मिलित होगी। इस बाबत् स्पष्टीकरण जारी किया जाना उचित होगा।

यह वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 271800021 दिनांक 31.01.2018 द्वारा अनुमोदित हैं।

अतः इस संबंध में तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीया

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर/ दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, वित्त भवन, जयपुर को इस संबंध में सिस्टम में आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु प्रेषित हैं।

www.rajteachers.com

अति. निदेशक (IFMS)